अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग
की समीक्षा बैठक दिनांक 24.10.2018 पंचम नगर बराज स्थल,सागर
का कार्यवाही विवरण

(I) : बीना PMU के अन्तर्गत संचालित सिंचाई परियोजनाएं :

1.बण्डा सिंचाई परियोजना :–(मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, हैदराबाद एवं मेसर्स फलौदी कस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रा. प्रायवेट लिमिटेड, इन्दौर)

1.1 निर्माण एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि 30 नवम्बर तक Unit-I का समस्त सर्वेक्षण एवं अनुसंधान कर Drawing एवं डिजाइन प्रस्तुत कर अनुमोदन प्राप्त करें।

1.2 अतिरिक्त परियोजना संचालक को निर्देशित किया गया कि 30 नवम्बर तक समस्त 28 ग्रामों का धारा–11 कलेक्टर से अनुमोदन कराकर प्रकाशन हेतु तैयार रखें।

1.3 वनभूमि प्रकरण 30 अक्टूबर 2018 तक नई दिल्ली को भेजा जाना सुनिश्चित करें।

1.4 निर्माण एजेन्सी द्वारा बतलाया गया कि 01 नवम्बर 2018 से कमांड क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा । निर्देशित किया गया कि कमांड क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य में एजेन्सी के साथ विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे एवं लेवल का सत्यापन साथ–साथ करे।

1.5 पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन कार्य कराकर दिसम्बर 2018 मे Public Hearing की तिथि निर्धारित कराई जाए ।

2. चकरपुर सिंचाई परियोजनाः– (मेसर्स गुरूदीप सिंह चाण्डी एण्ड कम्पनी, कोटा)

2.1 भारत सरकार से द्वितीय चरण की अनुमति प्राप्त हो गई है । वन विभाग से संपर्क कर सर्वेक्षण एवं अनुसंधान प्रारंभ कराए।

2.2 एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि 31.10.2018 तक समस्त Drawing एवं Design अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें । परियोजना संचालक 10 नवम्बर 2018 तक अनुमोदन करें।

2.3 बीना परियोजना हेतु शासन ने विशेष पैकेज स्वीकृत किया है । अतः आपसी सहमति से भूमि शीघ्र कय की जाए ।

3. कड़ान मध्यम परियोजनाः– (मेसर्स सोराठिया वेल्जी रत्ना एण्ड कंपनी)

3.1 निर्माण एजेन्सी द्वारा बतलाया गया कि किसानो को मुआवजा भुगतान न होने से समस्या हो रही है । विभाग द्वारा बतलाया गया कि डूब क्षेत्र के समस्त 9 ग्रामों की धारा–11, धारा–19 एवं धारा–21 की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है,4 ग्रामों के एवार्ड पारित है । निर्देशित किया गया कि भू–अर्जन मुआवजा कृषकों को यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए।

3.2 कड़ान बांध में सागर शहर के सीवर लाइन का पानी आकर मिलता है । अतः निर्देशित डूब क्षेत्र से पूर्व नाले में चेक डैम का निर्माण कर गन्दे पानी को रोकें । साथ ही बांध में Silt जमाव कम करने हेतु Scouring Sluice का प्रावधान रखें।

3.3 बांध की Drawing को अंतिम करते समय मुख्य अभियंता, बोधी से चर्चा कर लें । इस तरह का प्रावधान रखे कि बांध में सिल्ट जमा न हो एवं शहर का गन्दा पानी भी न आए।

3.4 बांध से 0.50 Mcm पेयजल का प्रावधान है। पेयजल हेतु बांध का पानी उपयुक्त नही होने के कारण पेयजल योजना प्रस्तावित नहीं की जाए।

4. मडिया बांधः– (मेसर्स L.C.C. Project Pvt. Ltd.)

4.1 निर्माण एजेन्सी द्वारा बतलाया गया कि पूर्व में ग्रामीणों द्वारा कार्य रोक दिया गया था । अब प्रारंभ हो गया है । निर्देशित किया गया कि 30 नवम्बर 2018 तक समस्त ड्राईग– डिजाइन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

4.2 सागर जिले के जिन 16 ग्रामों की धारा–11 प्रकाशित हो गई है। उनका धारा–19 प्रकरण तैयार रखें । निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त होने या आचार संहिता समाप्त होने, जो पहले हो, प्रकाशन कराया जाय।

4.3 बीना परियोजना के विशेष पैकेज की स्वीकृति शासन द्वारा प्राप्त हो गई है। अतः आपसी सहमति से क्रय की कार्यवाही भी जारी रखें।

5. हिनौता सिंचाई परियोजना :–

5.1 हनौता बांध Unit-I एवं सूक्ष्म पद्वति की निविदा रू. 2743.07 करोड़ की आमंत्रित है । निर्देशित किया गया कि बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों का धारा–11 के प्रकरण तैयार रखे जावें । आचार संहिता समाप्त होते ही प्रकाशन कराया जाय।

5.2 पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन के प्री–मानसून एवं मानसून डाटा एकत्र हैं । अतः परियोजना हेतु अनुबंधित निविदा जो U.S.R. 2017 से 39.14% कम है, उसी अनुबंध के अंतर्गत हिनौता का भी कार्य ऐजेन्सी से सहमति प्राप्त कर कराया जाये ।

6. कैथ मध्यम सिंचाई परियोजनाः–

6.1 परियोजना की निविदा बांध एवं सूक्ष्म सिंचाई पद्वति की प्रथम आमंत्रण में एकल निविदा होने से निरस्त हो गई थी । पुनः आमंत्रण किया गया है।

6.2 बांध के डूब में आने वाले वनभूमि की Stage-I की बैठक दिल्ली में हो चुकी है। आदेश प्राप्त होते ही वन विभाग से मांग पत्र प्राप्त कर राशि तुरन्त जमा करने के निर्देश दिये गये।

6.3 बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले तीन ग्रामों की धारा–21 की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है । प्राप्त आपत्तियों का शीघ्र निराकरण कर एवार्ड पारित कराकर राशि किसानों के खाते में जमा कराई जाए।

7. साजली मध्यम सिंचाई परियोजनाः– (मेसर्स ऐ. के. टी., भोपाल)

7.1 निर्माण एजेन्सी द्वारा बतलाया गया कि C.O.T. का कार्य पूर्ण है । माह जून तक गेट का कार्य छोडकर समस्त कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा। निर्देशित किया गया कि गेट सहित समस्त कार्य भी जून 2019 तक पूर्ण किये जावें।

7.2 पुर्नवास एवं विस्थापन के संबंध में बतलाया गया कि दमोह जिले के 160 परिवार एवं सागर जिले के 31 परिवार कुल 191 परिवार विस्थापित हो रहे है। पुर्नवास हेतु दमोह जिले के पथरिया ग्राम में 10.70 हेक्टेयर जमीन विभाग को आवंटित हो गई है । निर्देशित किया गया कि 2400 वर्ग फुट के प्लाट विस्थापित परिवारों को उपलब्ध करावें । पुर्नवास कालोनी के समस्त आवश्यक कार्य प्लाट आवंटन सहित मार्च 2019 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करे।

8. साजली सूक्ष्म सिंचाई योजनाः–

8.1 साजली परियोजना की कुल जल भराव क्षमता 43.88 मिलियन घन मीटर एवं जीवित जल भराव क्षमता 38.23 मिलियन घन मी. है।

8.2 अनुबन्ध में 9950 हेक्टेयर सैंच्य क्षेत्र सिचिंत करने का प्रावधान है । पथरिया तहसील के वोतरई ग्राम का अधिक ऊंचाई वाला सैच्य क्षेत्र 800 हेक्टेयर अनुमोदित कमाण्ड क्षेत्र 9950 हेक्टेयर में सम्मिलित नही है। अतः निर्णय लिया गया कि इस सैंच्य क्षेत्र को भी इसी परियोजना में सम्मिलित किया जावे क्योंकि इसे भविष्य में किसी भी योजना से सिचिंत नही किया जा सकेगा। इस हेतु समानुपातिक अतिरिक्त विद्युत भार स्वीकृत किया जाए ।

9. पंचमनगर सूक्ष्म सिंचाई योजनाः–

9.1 साजली एवं पंचमनगर परियोजना से कुल 34950 हेक्टेयर (25000 हे+9950 हे.) सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

9.2 बेवस, साजली एवं कोपरा नदी के मध्य लगभग 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई न तो प्रस्तावित है एवं न ही अन्य किसी साधन से संभव है।

9.3 सूक्ष्म सिंचाई पद्वति से सिंचाई हेतु अनुबंध में 0.35 LPS/ha. ड्यूटी से गणना की गयी है। निर्देश दिये गये कि उक्त संयुक्त सैंच्य क्षेत्र की गणना हेतु निर्माण कार्य तो 0.35 LPS/ha. Ls से कराया जाए लेकिन आवश्यक जल की गणना हेतु 0.32 LPS/ha. ड्यूटी रबी सिंचाई हेतु ली जावे। इससे उक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा दी जाना संभव होगा ।

9.4 अतः निर्णय लिया गया कि इस 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पंचमनगर, साजली एवं सीतानगर परियोजनाओं से सिचिंत करने हेतु संबंधित एजेन्सियों की सहमति प्राप्त की जाकर अतिरिक्त सैंच्य क्षेत्र के लिए निर्माण किया जावे।

9.5 पेयजल हेतु पगरा बांध से आरक्षित 14 मि.घ.मी. पानी तथा बेवस नदी में माह अक्टूबर तक जल का प्रवाह रहने को भी ध्यान रखते हुए सिंचाई हेतु उपलब्ध जल की गणना की जावे।

(I) :मुख्य अभियंता, धसान केन कछार, सागर के अन्तर्गत संचालित सिंचाई परियोजनाएं :

(1) जल संसाधन मंडल, सागर।

(A)–सतधारू मध्यम परियोजना :–

(1) मिट्टी बॉध का स्पिलवे में क्रेस्ट लेवल तक का कार्य माह मई–2019 तक पूर्ण किया जावे।

(2) जल अधिक्य के मद्देनजर कमांड क्षेत्र को बढ़ाने की संभावना तलाशी जाए ।

(B) परकुल मध्यम परियोजना :–

(1) कांकीट कार्य अविलंब प्रांरभ किया जाकर फरवरी 2019 तक पूर्ण किया जावे।

(2) योजना से सिंचाई क्षमता बढ़ाकर 3700 हे. तक की जावे।

(3) योजना का कार्य जून–2019 तक पूर्ण कराया जावे।

(4) आर ए ए प्रकरण परियोजना की कम लागत हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

(C) सूरजपुरा मध्यम परियोजना :–

(1) योजना में कमांड क्षेत्र को लगभग 1000 हे. बढ़ाने के लिये 30 अक्टूबर 2018 तक निर्णय लिया जावे।

(2) आर.ए.ए. तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।

(D) सोनपुर मध्यम परियोजनाः–

(1) आर.ए.ए. तैयार कर प्रस्तुत किया जावे।

(2) जहां कृषकों द्वारा माइनर का विरोध किया जा रहा हो वहां निर्माण न कराया जावे। ऐसे क्षेत्र में भू–अर्जन भुगतान नही किया जावे।

(E) आपचंद मध्यम परियोजनाः–

(1) 31 अक्टूबर–2018 तक स्टेज–1 प्रकरण वनाधिकारियों के साथ joint inspection करवाकर ऑनलाइन कराया जावे । हार्ड कापी भी साथ–साथ प्रस्तुत की जावे।

(2) भू–अर्जन के धारा–11 का प्रकरण प्रकाशन हेतु भोपाल प्रेषित कराया जावे।

(F) कोपरा मध्यम परियोजनाः–

(1) योजना के लिये वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 423 हे.राजस्व भूमि को "जल संसाधन विभाग की योजनाओं के लिए" नाम से हस्तांतरण कराया जावे।

(2) जल संसाधन मंडल छतरपुर।

(1) मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना :–

(i) मझगांय परियोजना से प्रभावित वन भूमि के प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि की मांग संशोधित कराकर कम कराने की कार्यवाही की जावे।

(ii) योजना की जीवित जल भराव क्षमता 105 एम.सी.एम. में से 40 एम.सी.एम. पानी एन.टी.पी.सी. को दिया जाना प्रस्तावित है । एन.टी.पी.सी. को पाइप द्वारा पानी जल संसाधन विभाग द्वारा उपलब्ध कराने एवं आवश्यक राशि एन.टी.पी.सी. द्वारा वहन किये जाने के संबंध में एन.टी.पी.सी. के अधिकारियों से चर्चा की जावे।

(2) रून्ज मध्यम सिंचाई परियोजना :–

1. रून्ज मध्यम सिंचाई योजना से प्रभावित वन भूमि की द्वितीय चरण की स्वीकृति हेतु एम.ओ.ई.एफ. भारत सर्रकार को पुनः पत्र भेजा जावे।

2. रून्ज मध्यम सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र से प्रभावित पन्ना अमानगंज सड़क के डायवर्सन रोड निर्माण हेतु टर्नकी निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जावे।

3. प्रेशर पाइप सिंचाई हेतु मझगांय एवं रून्ज योजना की संयुक्त निविदा 27485 हेक्टे. हेतु आमंत्रित की गई है। रून्ज एवं मझगांय सिंचाई योजनाओं में प्रस्तावित सिंचाई के पश्चात उपलब्ध शेष पानी से अतिरिक्त सिंचाई हेतु परीक्षण किया जावे। इस हेतु पन्ना जिले में पन्ना के आस–पास एवं छतरपुर जिले में बरेठी ग्राम के आस–पास प्रेशर सिंचाई हेतु परीक्षण कर लगभग 25000 हेक्टे. हेतु प्रस्ताव तैयार किया जावे।

4. रून्ज मध्यम सिंचाई परियोजना एवं मझगांय मध्यम सिचांई परियोजना को एकीकृत किया जाकर इसका नाम रून्ज–मझगांय परियोजना करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावें।

(3) **पवई मध्यम सिंचाई परियोजना :–**

1. संविदाकार मोन्टे कार्लो द्वारा अनुबंधित नहर निर्माण कार्य 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किया जावे।
2. संविदाकार सारथी कन्स्ट्रक्शन द्वारा अनुबंधित नहर निर्माण कार्य 31 मार्च 2019 तक पूर्ण किया जावे।
3. बांध में गेट लगाने का कार्य करने की दृष्टि से पवई बांध से दिनांक 15.11.2018 से पानी छोड़कर आवश्यकतानुसार बांध का जल स्तर कम किया जावे।

(4) **तरपेड मध्यम सिंचाई परियोजना :–**

1. बांध कार्य 15 नवम्बर 2018 तक पूर्ण किया जावे।
2. नहर कार्य 15 नवम्बर 2018 तक पूर्ण किया जावे।
3. योजना से 4000 हेक्टे. क्षेत्र में पलेवा+दो पानी प्रदान किया जावे।
4. रेल्वे क्रासिंग का कार्य 15 नवम्बर 2018 तक पूर्ण करांया जावे।

लघु सिंचाई योजनाऐं :–

जल संसाधन संभाग पबई जिला–पन्ना

1. **बिल्हा तालाब** – योजना में उपलब्ध जीवित जल भराव क्षमता के अनुसार सी.सी.ए. पुनरीक्षित किया जावे । नहर के शेष कार्य प्रशासन का सहयोग लेकर योजना दिनांक 30.11.2018 तक पूर्ण कराई जावे।
2. **चौपरा तालाब योजना** – नहर के भू–अर्जन के बटवारे संबंधी समस्याओं का निराकरण कराकर शेष कार्य शीघ्र कराकर योजना दिनांक 30.11.2018 तक पूर्ण कराई जावे।
3. **डूंडी उमरिया तालाब** – बांध कार्य 30.11.2018 तक एवं नहर कार्य दिनांक 15.12.2018 तक पूर्ण कराया जावे।
4. **हथकुरी तालाब** – हथकुरी नहर का शेष कार्य दिनांक 05.11.2018 तक पूर्ण कराया जावे।
5. **पटना तालाब** – नहरो के शेष कार्य दिनांक 15.11.2018 तक पूर्ण किये जावे।
6. **पटपरा तालाब** – नहरो के शेष कार्य दिनांक 31.12.2018 तक पूर्ण किये जावे।

जल संसाधन संभाग पन्ना

1. **बहादुर गंज तालाब** – नहरों का शेष कार्य दिनांक 30.11.2018 तक पूर्ण किया जावे। ठेकेदार द्वारा कार्य में गति न बढ़ाने पर नोटिस जारी किया जावे।
2. **बरबीरा तालाब** – बांध कार्य दिसम्बर 2018 तक एवं नहर कार्य दिनांक 30.11.2018 तक पूर्ण कराया जावे। अतिरिक्त मात्राओं के 90 प्रतिशत भुगतान की अनुमति देने एवं प्रकरण प्रमुख अभियंता, भोपाल कार्यालय को भेजने की कार्यवाही की जावे।
3. **भितरी मुटमुरू तालाब** – बांध निर्माण हेतु आवश्यक वन प्रकरण की प्रथम स्तरीय स्वीकृति हेतु प्रकरण दिनांक 15.11.2018 तक आनलाइन उपलोड किया जावे।
4. **बिलखुरा तालाब** – नहर निर्माण हेतु आमंत्रित टर्नकी निविदा के निराकरण पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावे।
5. **देवरी तालाब** – बांध एवं नहर कार्य फरवरी 2019 तक पूर्ण कराकर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
6. **डोभा तालाब** – डोभा तालाब में नाला डायवर्सन हेतु आवश्यक वनभूमि का पुनः स्थल निरीक्षण कर परीक्षण करे। आवश्यकता होने पर एफ.आर.ए. तथा वैकल्पिक भूमि आवंटन कराने की कार्यवाही दिनांक 15.11.2018 तक की जावे। ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ कराने हेतु नोटिस जारी किया जावे।
7. **इटवाखास तालाब** – योजना से प्रभावित वन भूमि के लिये आवश्यक वैकल्पिक राजस्व भूमि आवंटन की कार्यवाही दिनांक 15.11.2018 तक पूर्ण की जावे। तथा एफ.आर.ए. की कार्यवाही शीघ्र कर प्रथम स्तरीय स्वीकृति हेतु प्रकरण ऑनलाइन अपलोड किया जावे। बांध एवं नहर निर्माण के लिये भू–अर्जन हेतु धारा–11 का प्रकाशन करने की कार्यवाही कराई जावे।
8. **जसबंतपुरा तालाब** – नहर का कार्य दिनांक 15 दिसम्बर 2018 तक पूर्ण कराया जावे। ठेकेदार द्वारा कार्य न करने पर अनुबंध विखण्डन एवं ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जावे।
9. **नचनौरा तालाब** – योजना दिनांक 30.11.2018 तक पूर्ण की जावे।
10. **रानीपुर तालाब** – बांध कार्य हेतु भू–अर्जन के एवार्ड में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार कार्यवाही कराई जावे। नहर निर्माण कार्य के लिये भू–अर्जन हेतु धारा 11 का प्रकाशन कराने की कार्यवाही की जावे।

11. **श्यामरडाडा तालाब** –अनुबंध विखण्डन पश्चात बांध एवं नहर के शेष निर्माण कार्य हेतु टर्न–की निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जावे।

12. **सिरस्वाहा तालाब** – शेष निर्माण कार्यो हेतु डेबिटेवल क्लॉज के तहत आयटम रेट पद्धति पर निविदा आमंत्रण की कार्यवाही की जावे।

30/10/18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,म.प्र.

पृ.क./3492391/P.F./2015/सागर/बीना(पीएमयू)/2018 भोपाल,दिनांक 30.10.2018

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव,मध्यप्रदेश शासन,जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता,धसान केंन कछार,सागर ।
3. परियोजना संचालक, बीना परियोजना प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.)सागर
4. संबंधित अधीक्षण यंत्री,जल संसाधन मण्डल, सागर/छतरपुर
5. अधीक्षण यंत्री/वृहद/कार्य/कार्यालय प्रमुख अभियंता
6. संबंधित कार्यपालन यंत्री/परियोजना प्रबंधक ———————— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. बैव मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

30/10/18
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,म.प्र.